रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 1987/आषाढ़ 15, 1909
No. 346] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 1987/ASADHA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

अधिसूचना

का. आ. 676(अ).—श्री टी. एन. श्रीवास्तव द्वारा संदाय आयुक्त का कार्यभार त्याग देने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार, एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एल्यूमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1984 (1984 का 43) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्र, आई. ए. एस. (उड़ीसा-1963) को संदाय आयुक्त नियुक्त करती है।

[फा. सं. 12/2/85-खातु-I]
बी. आर. पुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 6th July, 1987

NOTIFICATION

S.O. 676(E).—Consequent upon the relinquishment of the charge of Commissioner of Payments by Shri T. N. Srivastava, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Aluminium Corporation of India Limited (Acquisition and Transfer of Aluminium Undertaking) Act, 1984 (43 of 1984), hereby appoints Shri Surendranath Mishra, I.A.S. (Orissa-1963) as the Commissioner of Payments.

[F. No. 12|2|85-Met. I]

B. R. PURI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987